

कार्यालय उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा

भहेशनगर, स्टेडियम रोड कौरिनभाठा, बसंतपुर राजनांदगाँव (छ.ग.)दूरभाष क्रमांक 07744-228420

क्रमांक/डी.डी./एल.एफ.ए./आरजेएन/ 1997

राजनांदगाँव, दिनांक- 21.11.2014

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत.राजनांदगाँव

विषय:- शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 21.11.2014 ।
सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 7928/जि.प./शि.क./स्था./2014 राजनांदगाँव दिनांक 18.11.14

—00—

शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 21.11.2014 हेतु शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के पुनरीक्षित वेतन निर्धारण से संबंधित जानकारीया निम्नानुसार है-

1 शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के पूर्व में स्वीकृत वेतन का विवरण निम्नानुसार है

क्र.	शिक्षा कर्मी वर्ग	1998 अनुसार वेतन मान	2003 अनुसार वेतन मान	2007 अनुसार वेतन मान	2011 अनुसार कमोन्नति वेतन मान 10 वर्ष	2012 अनुसार समयमान वेतन स्नातक 7वर्ष गैरस्नातक 10 वर्ष	2013 अनुसार समतुल्य वेतन मान 8वर्ष
1	वर्ग -1/ व्याख्याता (पंचायत)	1200 40 2000	3900 75 5400	5300 150 8300	6800 200 10800	7000 200 30000 अ.भ.4500	9300 34800 +जी.पी.4300
2	वर्ग -2/ शिक्षक (पंचायत)	1000 30 1600	3250 60 4450	4500 125 7000	5300 150 8300	6000 175 25000 अ.भ.3500	9300 34800 +जी.पी.4200
3	वर्ग -3/ सहा.शिक्षक (पंचायत)	800 20 1000	2700 50 3700	3800 100 5800	4500 125 7000	5000 150 20000 अ.भ.2500	5200 20200 +जी.पी.2400

2. छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक-426/पंचा-543/22/पंग्राविवि/2013 रायपुर दिनांक 22.01.2014 में निम्नांकित निर्देश है

कण्डिका 3 अनुसार

01.05.13 की स्थिति में 8 वर्ष की सन्तोष जनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 की अनुसूची 2 में उल्लेखित अनुसार प्रारंभिक वेतन पर वेतन निर्धारण किया जावेगा ।

निर्देशांक 426/पंचा-543/22/पंग्राविवि/2013

दिनांक 22.01.2014

कण्डिका 6 अनुसार

समयमान वेतन के लाभ हेतु बिन्दु क्रमांक 3 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जायेगी

इसी तरह कण्डिका 7 अनुसार

समयमान वेतन के लाभ हेतु बिन्दु क्रमांक 3 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जायेगी

उपरोक्तानुसार शासन निर्देश के अनुक्रम में शिक्षक संवर्ग के वेतन का निर्धारण निम्नांकित है

क्र.	शिक्षा कर्मी वर्ग	2011 अनुसार कमोन्नति वेतन मान 10 वर्ष	कण्डिका 7 अनुसार वेतन निर्धारण	2012 अनुसार समयमान वेतन स्नातक 7वर्ष गैरस्नातक 10 वर्ष	कण्डिका 6 अनुसार वेतन निर्धारण	2013 अनुसार समतुल्य वेतन मान 8वर्ष	कण्डिका 3 अनुसार वेतन निर्धारण
1	वर्ग -1/ व्याख्याता (पंचायत)	6800 200 10800	10230 +जी.पी.4300 = 14530	7000 200 30000 अ.म.4500	10230 +जी.पी.4300 = 14530	9300 34800 +जी.पी.4300	10230 +जी.पी.4300 = 14530
2	वर्ग -2/ शिक्षक (पंचायत)	5300 150 8300	9300 +जी.पी.4200 = 13500	6000 175 25000 अ.म.3500	9300 +जी.पी.4200 = 13500	9300 34800 +जी.पी.4200	9300 +जी.पी.4200 = 13500
3	वर्ग -3/ सहा. शिक्षक (पंचायत)	4500 125 7000	7440 +जी.पी.2400 = 9840	5000 150 20000 अ.म.2500	7440 +जी.पी.2400 = 9840	5200 20200 +जी.पी.2400	7440 +जी.पी.2400 = 9840

3. उपरोक्त वेतन निर्धारण में यदि कर्मचारी की कुल सेवा अवधि 8 वर्ष से अधिक है तो उसे 8 वर्ष पश्चात अधिक अवधि पर प्रत्येक 2 वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए 1 वार्षिक वेतन वृद्धि का वेटेज दिया जावेगा । परन्तु किसी प्रकार एरियर देय नहीं होगा ।

संलग्न:- नियम एवं निर्देश की प्रति ।

उप प्रिचालक,
स्थानीय निधि संपरीक्षा
राजनांदगांव छ.ग.

98400
156891
1400
18180